[2021] 10 एस. सी. आर 582

महेंद्र के सी

बनाम

कर्नाटक राज्य और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1238)

29 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.482-कार्यक्षेत्र के तहत शक्ति का प्रयोग-अभियोजन मामला यह था कि पीड़ित-मृतक, आरोपी के चालक-दूसरे प्रतिवादी ने आत्महत्या कर ली थी-सुसाइड नोट में, उसने आरोपी दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धन जमा करने के गंभीर और गंभीर आरोप लगाए थे और उन घटनाओं में आरोपी की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया था जिनके कारण मृतक ने अपराध किया था।

आत्महत्या दूसरे उत्तरदाता ने सफलतापूर्वक एस. दाखिल किया। 482 आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन-इसलिए तत्काल अपील आयोजित की गई: उच्च न्यायालय एस के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए। 482 निम्नलिखित दो परीक्षणों को लागू करना चाहिए था: (i) क्या शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अपराध हैं; और (ii) क्या आरोप इतने असंभव थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है।

शिकायत के साथ-बल्कि, उच्च न्यायालय ने रोक का एक अंतरिम आदेश देकर जांच को रोक दिया-कथित आत्महत्या एक ऐसे व्यक्ति की थी जो एक विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के चालक के रूप में काम कर रहा था, जिसके खिलाफ जमा करने के गंभीर और गंभीर आरोप थे।

आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति मृतक द्वारा बनाई गई थी और उन घटनाओं में अभियुक्त की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया था जिनके कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली थी-ये जांच और संभवतः मुकदमे के मामले थे-यदि जांच को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई होती, तो ऐसे भौतिक तथ्यों का खुलासा होता जो मुकदमे में सहायता करते, दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ कथित अपराध के लिए-उच्च न्यायालय ने परीक्षण किया आपराधिक शिकायत में आरोपों की सच्चाई और मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में एक साक्षय रिकॉर्ड का लाभ होने के बिना जो मुकदमे के दौरान एकत्र किया जाएगा-उस स्तर पर जब उच्च न्यायालय एस के तहत रद्द करने के लिए एक याचिका पर विचार करता है। 482 , उच्च न्यायालय की सत्यता का परीक्षण नहीं कर सकता है

आरोप और न ही उस मामले के लिए वह इस तरह से आगे बढ़ सकता है कि मुकदमे का संचालन करने वाला न्यायाधीश, मुकदमे के दौरान एकत्र किए गए साक्षय के आधार पर-उच्च न्यायालय वस्तुतः एक मुकदमे का आयोजन करने के लिए आगे बढ़ा, जो उसे लगता था कि मानव व्यवहार का सामान्य पाठ्यक्रम होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था।

यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है-उच्च न्यायालय के पूरे निर्णय में अनुमानों और अनुमानों की एक सूची शामिल है और इस तरह का अभ्यास एस के तहत कार्यवाही के क्षेत्र से बाहर है। 482 – उच्च न्यायालय ने जांच करने के लिए आगे बढ़ाया था कि इस दौरान क्या खुलासा किया गया है जांच, इस बात की अनदेखी करते हुए कि एस के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश द्वारा जांच पर रोक लगा दी गई थी। 482 - एफ. आई. आर. को रद्द करने की याचिका ने दंड संहिता, 1860 को खारिज कर दिया। 306 .

मानसिक स्वास्थ्यः उच्च न्यायालय एस के गुण-दोष पर निर्णय लेते समय। 482 Cr.P.C याचिका ने टिप्पणियों के महत्व को कम कर दिया है

मानसिक स्वास्थ्य-किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता है

एक आकार तक संपीड़ित सभी दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. एकल न्यायाधीश धारा 482 के तहत रद्द करने की याचिका के बीच के अंतर पर ध्यान देने में विफल रहा है।

अनुमान लगाता है जिसके आधार पर एकल न्यायाधीश तथ्यों पर निष्कर्ष पर पहुँच गया है। एकल न्यायाधीश ने आपराधिक शिकायत और मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में आरोपों की सत्यता का परीक्षण किया है। साक्षय अभिलेख जो मुकदमे के दौरान एकत्र किया जाएगा। जिस स्तर पर उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका को रद्द करने पर विचार करता है, उस स्तर पर यह परीक्षण लागू किया जाना चाहिए कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप, शिकायत को जोड़े या उससे अलग किए बिना, प्रथम दृष्टया यह स्थापित करते हैं कि क्या

अपराध के घटकों का आरोप लगाया गया। इस स्तर पर, उच्च न्यायालय आरोपों की सत्यता का परीक्षण नहीं कर सकता है और न ही उस मामले के लिए वह उस तरीके से आगे बढ़ सकता है जिस तरह से मुकदमे का संचालन करने वाला न्यायाधीश मुकदमे के दौरान एकत्र किए गए साक्षय के आधार पर करेगा।

अभियुक्त की अवैध गतिविधियों के संबंध में मृतक की जानकारी; अभियुक्त ने अपने रिश्तेदारों को धन हस्तांतरित करने के लिए मृतक के बैंक खाते का उपयोग किया था; मृतक को अभियुक्त और उसके "हाउस कार चालक" द्वारा मौत की धमकी दी गई थी; और सुसाइड नोट की बरामदगी जो मृतक के फेसबुक खाते पर भी अपलोड किया गया था; सुसाइड नोट बदले में दूसरे प्रतिवादी द्वारा अर्जित संपत्ति का विस्तृत विवरण प्रदान करता है-आरोपी जो एक एस. एल. ए. ओ था, जिसकी कीमत Rs.100 करोड़ से अधिक थी; दूसरा प्रतिवादी-आरोपी ने लगभग रु। 100 विभिन्न मुद्राओं के नोटों में करोड़ मूल्यवर्ग; अभियुक्त की अवैध गतिविधियों के संबंध में मृतक की जानकारी; अभियुक्त ने मृतक का उपयोग रुपये से अधिक के मुद्रा नोटों के रूपांतरण के लिए किया था। 75 करोड़; मृतक के वेतन का भुगतान, जो

एक ड्राइवर था जिसे तीन महीने से रोका गया था; मुद्रा की कमी के बाद मृतक को हत्या की धमकी दी जा रही थी; और मृतक ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया था जहर खाकर, अभियुक्त के हाथों पीड़ित होना। इस पृष्ठभूमि में, शिकायत की सामग्री और सुसाइड नोट के विवेकपूर्ण दायरे में न्यायिक दिमाग के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव है कि प्राथमिकी को रद्द करने का मामला स्थापित किया गया था। उस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, एकल न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर अच्छी तरह से तय की गई सीमाओं का उल्लंघन किया है और

क्षेत्र जो आपराधिक मुकदमे के लिए आरक्षित है। [पारस 17,18] [596-डी-एच; 597-ए-डी]

उड़ीसा राज्य बनाम। सरोज कुमार साहू (2005) 13 एस. सी. सी. 540 [2005] 5 पूरक। एस. सी. आर. 548; हरियाणा राज्य बनाम च. भजन लाल 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335: [1990] 3 पूरक। एससीआर 259; एम. पी. बनाम राज्य सुरेंद्र कोरी (2012) 10 एससीसी 155: [2012] 8 एस. सी. आर. 858; तेलंगाना राज्य बनाम मानागिपेट (2019) 19 एस. सी. सी. 87 पर भरोसा किया।

- महेंद्र के. सी. बनाम कर्नाटक राज्य

3. उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दूसरे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। प्रतिवादी-अभियुक्त को निम्नलिखित दो परीक्षणों को लागू करना चाहिए था: (i) क्या शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अपराध हैं; और (ii) क्या आरोप इतने असंभव हैं कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा कि शिकायत के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है।

[पैरा 21] [599-जी-एच; 600-ए-बी]

रमेश कुमार बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2001) 9 एससीसी 618: [2001] 4 पूरक। एस. सी. आर. 247; चित्रेश कुमार

चोपड़ा बनाम। राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) (2009) 16 एस. सी. सी. 605 [2009] 13 एस. सी. आर. 230; अमलेंदु पाल @झंटू बनाम।

पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 1 एससीसी 707: [2009] 15 एससीआर 836; प्रवीण प्रधान बनाम। उत्तरांचल राज्य (2012) 9 एस. सी. सी. 734 [2012] 8 एस. सी. आर. 1129; वैजनाथ कोंडीबा खंडके बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2018) 7 एस. सी. सी. 781; एम. अर्जुनन बनाम राज्य (इसके पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व) (2019) 3 एस. सी. सी. 315; उदे सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2019) 17 एससीसी 301: [2019] 9 एससीआर 703; राजेश @सरकारी बनाम। हरियाणा राज्य (2020) 15 एस. सी. सी. 359; गुरचरण सिंह बनाम। राज्य का

पंजाब (2020) 10 एस. सी. सी. 200; अर्नब मनोरंजन

गोस्वामी बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2021) 2 एससीसी 427--

पर भरोसा किया।

4. धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए मापदंडों से बहुत दूर यात्रा की। अनिवार्य रूप से, उच्च न्यायालय के समक्ष कार्य यह निर्धारित करना था कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया अपराध का गठन करते हैं या नहीं या आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं। इस तय किए गए सिद्धांत को लागू करने के बजाय, उच्च न्यायालय ने अपने दृष्टिकोण से आरोपों की सच्चाई का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ गया है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि प्राथमिकी या शिकायत में आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. उच्च न्यायालय ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है तब से बाहर: i) सुसाइड नोट में विशिष्ट धमकियों का वर्णन नहीं है; ii) रुपये की कथित मांग का विवरण। 8 प्रतिवादी द्वारा मृतक से लाखों-अभियुक्तों को सुसाइड नोट में नहीं दिया गया है; और iii) सुसाइड नोट में विस्तृत आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई सामग्री जांच एजेंसी द्वारा नहीं मिली है। द.

उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि मृतक ने काफी लिया

बारह पृष्ठ का एक सुसाइड नोट लिखने का समय आ गया है, "लेखक के लिए विवरण निर्धारित करना स्वाभाविक होता"। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति की सीमाओं से बहुत आगे की यात्रा की है क्योंकि यह निर्धारित करने के बजाय कि क्या शिकायत के अवलोकन पर, एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, उसने सुसाइड नोट के संदर्भ में सबूतों की पर्याप्तता का विश्लेषण किया है और इस पर टिप्पणी की है और मजबूत किया है।

आत्महत्या नोट पर ही टिप्पणियाँ। इसके अलावा, उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, गलत है क्योंकि यह उच्च न्यायालय के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय विचार का विषय नहीं है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और एकल न्यायाधीश ने आपराधिक शिकायत में जाँच। [पैरा 27] [603-डी-जी; 604-एच; 605-ए] महेंद्र के. सी. बनाम।

कर्नाटक राज्य

मामला कानून संदर्भ

[2005] 5 पूरक। एससीआर 548

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[1990] 3 पूरक। एससीआर 259

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2012] 8 एससीआर 858

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

(2019) 19 एससीसी 87

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

[2001] 4 पूरक। एससीआर 247

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

[2009] 13 एससीआर 230

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[2009] 15 एससीआर 836

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[2012] 8 एससीआर 1129

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

(2018) 7 एस. सी. सी. 781

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

(2019) 3 एस. सी. सी. 325

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

[2019] 9 एससीआर 703

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

(2020) 15 एस. सी. सी. 359

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

(2020) 10 एससीसी 200

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

(2021) 2 एस. सी. सी. 427

उस पर भरोसा करें

पैरा 24

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का No.1238।

उच्च न्यायालय के 29.05.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की आपराधिक याचिका No.3515 में बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार

के साथ

2021 की आपराधिक अपील संख्या 1239।

महेश ठाकुर, सुश्री विपाशा सिंह, सुश्री शैलजा दास, डॉ. एंथनी

राजू, अजय कनौजिया, वी. एन. रघुपति, मो. अपजल अंसारी, शरण ठाकुर, सर्वेश सिंह बघेल, शांतनु सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

दंड प्रक्रिया 1973 का 1, के उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश

1 " सीआरपीसी

"[2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सूचना रिपोर्ट 2 को भारतीय दंड संहिता 1860 3 की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था और कर्नाटक राज्य 29 मई 2020 के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है। एकल न्यायाधीश को रद्द करने के लिए राजी किया गया था इस आधार पर कार्यवाही कि अभियोजन की निरंतरता "न्याय का उपहास होगी और समय की सरासर बर्बादी होगी", इसके अलावा अभियुक्त-प्रतिवादी को "एक लंबे मुकदमे की कठोरता से गुजरना होगा"।

एक तथ्य

2. 6 दिसंबर 2016 को 20 बजे मद्दुर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी: 00 अपीलार्थी द्वारा घंटे जो मृतक का भाई है। शिकायत में बताया गया है कि अपीलार्थी का भाई एक वकील के रूप में काम कर रहा था। अभियुक्तक लेल चालक-दोसर प्रतिवादी। दूसरा प्रत्यर्थी कर्नाटक राज्य का एक अधिकारी है और एक की क्षमता में कार्यरत है

विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी 1. शिकायत के अनुसार, मृतक महीने में एक बार बेंगलुरु से परिवार के घर जाने और अपने परिवार और दोस्तों से मिलने जाता था। उनके दोस्तों में शशि कुमार भी थे। आरोप है कि 4 दिसंबर 2016 को मृतक एक अन्य मित्र शिव कुमार से बेंगलुरु में मिला और गाँव चला गया। अपने माता-पिता के कल्याण के बारे में पूछताछ करने के बाद, मृतक ने शिकायतकर्ता और शिव कुमार के साथ अपनी पीड़ा साझा की कि आरोपी, जो एक एस. एल. ए. ओ है, ने एक सौ करोड़ से अधिक की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और मृतक के मोबाइल और बैंक खाते का उपयोग अपने रिश्तेदारों को धन हस्तांतरित करने के लिए किया है ताकि "काले धन को सफेद" में परिवर्तित किया जा सके। शिकायत में बताया गया है कि चूंकि मृतक को आरोपी के व्यवहार के बारे में पता था, इसलिए आरोपी एक अन्य चालक के साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। 3. 6 दिसंबर 2016 को लगभग 1 बजे: 30 शाम को शशि कुमार ने शिकायतकर्ता को फोन करके बताया कि मृतक एक कमरे में रह रहा था

एक लॉज में था और दरवाजा नहीं खोल रहा था। जब उसने फोन करने की कोशिश की

2 " एफ. आई. आर. "

3 " आई. पी. सी "

4 " स्लाव "महेंद्र के. सी. बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मृतक अपने सेल फोन पर नशे की हालत में बात कर रहा था और यह आशंका जताई गई कि वह किसी परेशानी में था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह दोपहर 3 बजे लॉज गया और शशि कुमार से मिला और पाया कि कमरा अंदर से बंद था। शिकायतकर्ता को बताया गया कि 4 दिसंबर 2016 को मृतक ने शशि से पूछा था

कुमार ने एक लॉज में एक कमरे की व्यवस्था की, जहाँ वे शशि कुमार के साथ रहे। मृतक पर आरोप है कि उसने शशि कुमार को सूचित किया था कि उसका जीवन

वह खतरे में था क्योंकि मृतक को धन जमा करने में आरोपी की अवैध गतिविधियों के बारे में पता था जिसके परिणामस्वरूप उसे हत्या की धमकी दी जा रही थी। मृतक ने शशि कुमार को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि मृतक अपने एक और दोस्त सुरेश के उसके साथ शामिल होने की उम्मीद कर रहा था, जिसके साथ वह आरोपी की गतिविधियों पर चर्चा करने जा रहा था। 5 दिसंबर 2016 को, मृतक ने शशि कुमार को लॉज में भोजन लाने के लिए बुलाया, जिसे वितरित कर दिया गया। मृतक ने शशि कुमार को सूचित किया कि उसका दोस्त सुरेश नहीं आया है। उन्होंने शशि कुमार को घर लौटने के लिए भी कहा क्योंकि उनका एक अन्य दोस्त उनके साथ रहेगा। 4. यह पता चलने पर कि मृतक 6 दिसंबर 2016 को अपना कमरा नहीं खोल रहा था, शिकायतकर्ता ने घर तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया।

लॉज के प्रबंधक की मदद से मृतक के कमरे की खिड़की। मृतक को "स्लीपिंग मोड" में पाया गया। मद्दुर पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया और जब 18 बजे उनके कमरे का दरवाजा खोला गया: 00 घंटों बाद, मृतक की मृत्यु पाई गई। खाट के बगल में एक चायदानी पर शराब की बोतल, जहर और मृतक द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट मिला। मृतक ने अपने मोबाइल के माध्यम से अपने फेसबुक अकाउंट पर सुसाइड नोट अपलोड किया था। शिकायत में बताया गया है कि सुसाइड नोट में रुपये से अधिक की संपत्ति जमा करने में आरोपी की अवैध गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। 100 करोड़ रुपये, काले धन को सफेद में परिवर्तित करना और मृतक के बैंक खाते से उसके मोबाइल के माध्यम से आरोपी के रिश्तेदारों के खातों में धन हस्तांतरित करना। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने मृतक को धमकी दी थी

उसकी मौत हो गई और उसे परेशान किया गया जिसके परिणामस्वरूप मृतक ने मानसिक तनाव से पीड़ित होकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

5. 20 बजे एफ़. आई. आर. दर्ज की गई: 00 6 दिसंबर 2016 को घंटे। दूसरा प्रतिवादी-आरोपी, बेंगलुरु शहर के लिए एक एस. एल. ए. ओ., और दूसरा

उसकी कार के चालक को आरोपी बनाया गया था। मृतक द्वारा कथित रूप से अपनी लिखावट में दर्ज किए गए सुसाइड नोट में उन संपत्तियों का विस्तृत वर्णन है जो कथित रूप से दूसरे प्रतिवादी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई थीं। पैराग्राफ 1 से 13 में अभियुक्त द्वारा अर्जित संपत्तियों का विवरण देने के अलावा, सुसाइड नोट में उल्लेख किया गया है:

कई लाख रुपये में धन का हस्तांतरण

(1)

आरोपी ने सेल फोन और बैंक का उपयोग करके अपने रिश्तेदारों को बताया

मृतक का लेखा-जोखा; लगभग Rs.100crores का मुद्रा में रूपांतरण

((ख)

2, 000/-, Rs.100/- और Rs.50/- के नोट।

(iii)

लेन-देन के संबंध में मृतक की जानकारी

अभियुक्त के बारे में जिसके परिणामस्वरूप उसे "उपद्रवियों द्वारा" जान से मारने की धमकी दी गई थी;

((iv) कर्नाटक के लोकायुक्ता की स्थापना द्वारा अभियुक्त के खिलाफ की गई छापेमारी, जब वह आवास बोर्ड में तैनात था।

न्यायाधीशों की भागीदारी जिनके लिए उपहार या उपहार थे

(v)

बनाया गया;

(vi) मृतक को वेतन का भुगतान रोक दिया गया है।

अभियुक्त के कहने पर;

(vii) आरोपी ने मृतक को बदलने के लिए इस्तेमाल किया था।

Rs.75 करोड़ से अधिक मूल्य की मुद्रा; और

(viii) मृतक को "सभी जानकारी" की जानकारी होने के कारण, और जब 8 लाख रुपये की राशि की कमी पाई गई, तो मृतक को कमी को पूरा करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर उसे उपद्रवियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी।

6. इस पृष्ठभूमि में, मृतक ने दर्ज किया कि उसे आरोपी द्वारा धमकी दी गई थी और इसलिए वह जहर खाकर अपना जीवन समाप्त कर रहा था। इस मौत के लिए दूसरे प्रतिवादी और उसके "हाउस ड्राइवर" दोनों को विशेष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था।

7. दूसरे प्रतिवादी-आरोपी को 11 दिसंबर 2016 को गिरफ्तार किया गया था। 12 दिसंबर 2016 को, मृतक के एक दोस्त बी. टी. सुरेश द्वारा की गई शिकायत के आधार पर, रामनगर जिले के इजूर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ अपराध No.128/2016 के रूप में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आई. पी. सी. की धारा 120 बी और 34 के साथ पठित धारा 323,324,341,342,363,506,114।

8. 18 अप्रैल 2017 को, आरोपी ने अपराध संख्या 565/2016 के रूप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की। ए.

कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपराध No.565/2016 में जांच और कार्यवाही पर रोक लगा दी। दलीलें सुनने के बाद, महेंद्र के. सी. बनाम.

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

फैसला 12 नवंबर 2019 को सुरक्षित रखा गया था। आखिरकार, उसके लगभग 6 महीने बाद 29 मई 2020 को दिए गए उनके फैसले से,

एकल न्यायाधीश ने याचिका को स्वीकार कर लिया और इससे संबंधित सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया

शिकायत और एफ. आई. आर. अपराध No.565/2016 के रूप में दर्ज की गई।

9. शुरुआत में, उन कारणों को स्पष्ट करना आवश्यक है जो

एफ. आई. आर. को रद्द करने में उच्च न्यायालय के साथ वजन किया है। उच्च न्यायालय ने

मान लिया है कि:

सुसाइड नोट जिसमें 21 नंबर वाले पैराग्राफ होते हैं

((i)

द्वारा किए गए लेन-देन का विस्तृत विवरण देता है

अभियुक्त;

एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने इस तरह का विस्तृत विवरण दिया है

((ख)

सुसाइड नोट में बीस लेन-देन, यह समझदारी से उम्मीद की जा सकती है कि मृतक ने विवरण प्रस्तुत किया होगा अभियुक्त द्वारा उसे दी गई धमकियों का;

(iii)

सुसाइड नोट के अनगिनत पैराग्राफ में "पूरी तरह से

अलग कहानी सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी क्योंकि 8 लाख रुपये की नकदी की कमी थी, जिसके लिए आरोपी को मृतक पर संदेह था।

मृतक ने आरोपी को रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया

((iv)

तीन महीने के लिए उसका वेतन;

(v) यद्यपि सरकारी प्लीडर से एक प्रश्न किया गया था और

शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि क्या जांच में ऐसी कोई सामग्री सामने आई है जो इसकी पुष्टि करती है

सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों पर जी. पी. ने कहा कि "वे किसी भी सामग्री का पता नहीं लगा पाए हैं। किसी भी आरोप की पुष्टि करें ";

(vi) यद्यपि याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी।

18 अप्रैल 2017 को, और तीन साल से अधिक समय से लंबित था, अदालत के समक्ष कोई पुष्टि करने वाली सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी

जाँच एजेंसी द्वारा;

(vii) यह मानते हुए भी कि अभियुक्त ने भारी धन जमा किया है, यह किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छा आधार नहीं होगा।

आत्महत्या करें क्योंकि यह मृतक का मामला नहीं था कि आरोपी ने उसे उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया था; [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(viii) सुसाइड नोट में गंजे और अस्पष्ट बयान के अलावा कोई आपत्तिजनक बयान या सामग्री नहीं है कि

अभियुक्त ने मृतक को धमकी दी थी;

(ix) शिकायत कथित धमकी के विवरण का खुलासा नहीं करती है और न ही यह बताती है कि मृतक ने कई मौकों पर आरोपी से धमकी मिलने की शिकायत की थी;

पुनर्भुगतान की मांग के संबंध में आरोप

(x)

8 लाख रुपये खोखले हैं क्योंकि न तो अभियोजन पक्ष और न ही वास्तविक शिकायतकर्ता ने ऐसी सामग्री का एक टुकड़ा रखा था जो वास्तव में मृतक के पास था या उसके पास था। धन राशि ";

(xi) मृत्यु के समय के निकट कोई कार्य आरोपित नहीं किया जाता है।

अभियुक्त;

(xii) यदि रुपये की मांग का आरोप है। 8 लाख सही था, आरोपी के लिए यह स्वाभाविक होता कि वह कथित राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए मृतक को बैंगलोर छोड़ने से रोकता।

(xiii) जाँच में मृतक की मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग के संबंध में कोई सामग्री सामने नहीं आई थी।

धन का हस्तांतरण;

(xiv) न तो मृत्यु-पत्र और न ही जांच में धमकी का पता चला

मृतक को कॉल करें;

(xv) एकमात्र गवाह जो सच्चाई के बारे में बोल सकता था

सुसाइड नोट में से मृतक था;

(xvi) यदि मृतक को धमकी दी गई होती, तो वह शिकायतकर्ता या अपने दोस्तों को घटना के बारे में बताता।

(xvii) भले ही कोई धमकी दी गई हो, खतरे की प्रकृति की जांच विशेष रूप से इस सवाल पर की जानी चाहिए कि क्या यह इतना खतरनाक अनुपात का था कि गाड़ी चलाने के लिए था।

आत्महत्या पर विचार करने के लिए एक 'सामान्य व्यक्ति';

(xviii) यदि मृतक ने आरोपी द्वारा धमकी महसूस की थी, तो अपने माता-पिता और दोस्तों से मिलने के लिए अपने गाँव की यात्राओं और पुलिस में शिकायत दर्ज करने में विफलता, विशेष रूप से जब पुलिस

आयुक्तालय एक पत्थर की दूरी पर था, से यह गलत साबित हुआ। इससे आत्महत्या की सच्चाई पर संदेह पैदा होता है।

टिप्पणी; महेंद्र के. सी. बनाम। कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(xix) चूंकि मृतक ने शराब का सेवन किया था, इसलिए यह संभव है कि वह मादक पदार्थों की चपेट में आकर समझदारी से काम नहीं ले सका हो;

(x) एक अलग शहर में एक शादी में भाग लेने में मृतक का आचरण एक सामान्य व्यक्ति के कार्यों का संकेत है;

और

(xxi) मृतक ने जहर कैसे प्राप्त किया था, यह अज्ञात था।

10. एकल न्यायाधीश के फैसले ने दो विशेष निर्णयों को जन्म दिया है

संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत याचिकाएं: एक से एक

कर्नाटक राज्य द्वारा दूसरा।

B पक्षकारों का प्रस्तुतिकरण

11. श्री महेश ठाकुर, शिकायतकर्ता के समर्थन में पेश हुए हैं।

की अपील। कर्नाटक राज्य द्वारा दायर अपील में श्री वी. एन. उपथी उपस्थित हुए हैं और प्रस्तुतियाँ दी हैं। उत्तरदाता

श्री द्वारा अपनी प्रस्तुतियों के दौरान एड का प्रतिनिधित्व किया गया है

ठाकुर में।

12. श्री महेश ठाकुर, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया:

((i)

मामला जांच के चरण में है और दूसरा

प्रत्यर्थी को जमानत पर रिहा किए जाने के बाद, एकल न्यायाधीश ने प्राथमिकी को रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलती की है, जिसके परिणामस्वरूप पूरी जांच बीच में ही बाधित हो गई है। उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देने में पूरी तरह विफल रहा है

((ख)

उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता और गंभीरता

अभियुक्त;

(iii)

इस न्यायालय के उदाहरणों से संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग करते हुए

सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालय अपील या पुनरीक्षण के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है और

अधिकारिता का प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए और

निरीक्षण;

(iv) एफ. आई. आर. में आरोप और शिकायत की सामग्री, यदि उनके चेहरे पर लिया जाता है और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, तो स्पष्ट रूप से निम्नलिखित के तहत दंडनीय अपराध के होने का संकेत मिलता है।

अभियुक्त द्वारा आई. पी. सी. की धारा 376, जिस स्थिति में उच्च न्यायालय के लिए कार्यवाही को रद्द करना अनुचित था; [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(v)

सुसाइड नोट के अलावा मृतक ने दोनों को सूचित किया था

शिकायतकर्ता और उत्पीड़न के अन्य गवाह

जिसे उसने दूसरे के हाथों झेला था प्रतिवादी-अभियुक्त जिसका एस. एल. ए. ओ. के रूप में प्रभाव का पद था और जिसके साथ मृतक एक चालक के रूप में काम करता था;

(vi) धमकियों की प्रकृति और क्या मृतक के पास थी

प्राप्त कॉल जाँच का विषय था;

(vii) सुसाइड नोट में दूसरे प्रतिवादी की अवैध गतिविधियों का विस्तृत विवरण है-आय से अधिक संपत्ति जमा करने में आरोपी और जिस तरह से मृतक का उपयोग धन के हस्तांतरण के लिए किया गया था; और (viii) उच्च न्यायालय ने सुसाइड नोट और शिकायत में विशिष्ट आरोपों के बावजूद आरोपों की सत्यता की जांच की है, जिससे एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए एक याचिका पर विचार करने के चरण में मुकदमा चलाया जाता है।

13. श्री वी. एन. रघुपति की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

कर्नाटक राज्य ने इसी तरह की प्रस्तुतियों का आग्रह किया है। यह हो चुका है

उन्होंने कहा कि:

((i)

सुसाइड नोट जो एक मजार के नीचे बरामद किया गया था

क्षेत्राधिकार पुलिस को भी अपलोड किया गया था

अपने फेसबुक खाते से मृत;

((ख)

सुसाइड नोट फॉरेंसिक साइंस को सौंप दिया गया था विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला लेकिन उच्च न्यायालय ने इसके तहत कार्यवाही का मनोरंजन करते हुए जांच पर रोक लगा दी

धारा 482 सी. आर. पी. सी. और जाँच को बाधित किया;

(iii)

शिकायत और सुसाइड नोट में आरोप शामिल हैं दूसरे प्रतिवादी के कहने पर मृतक को हुए उत्पीड़न का एक स्पष्ट और विस्तृत विवरण

अभियुक्त जो अपने चेहरे पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला स्थापित करता है; और

(iv) मृतक के एक दोस्त द्वारा दर्ज कराई गई एक अन्य शिकायत जो राम नगर जिले के इजूर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी (अपराध संख्या 128/2016) में किए गए कथनों की पुष्टि करती है।

मद्दुर पुलिस स्टेशन का अपराध No.565/2016।

14. दूसरी ओर, विद्वान वकील श्री शरण ठाकुर

दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से-अभियुक्त ने प्रस्तुत किया कि:

महेंद्र के. सी. बनाम कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अभिप्रेरणा एक प्रेरणा का प्रतिपादन करती है और के संदर्भ में

((i)

धारा306, उस हद तक उकसाना चाहिए जहां

आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

((ख)

शिकायत और सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप गलत हैं उकसाने के मामले को स्थापित करने के लिए सामग्री की कमी और इसलिए अपराध की आवश्यक आवश्यकताएँ

धारा 307 स्थापित नहीं की गई है;

(iii)

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कारण प्रस्तुत किए थे

यह इंगित करने के लिए कि आत्महत्या में आरोप शामिल हैं नोट स्वाभाविक रूप से असंभव हैं;

((iv) शिकायतकर्ता का बयान विरोधाभासों से भरा है और

विसंगतियाँ;

सुसाइड नोट में किसी भी स्पष्ट कार्य का उल्लेख नहीं है

(v)

आरोपी जिसने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया होगा। 11 दिसंबर 2016 के बीच की अवधि के दौरान, जब आरोपी को हिरासत में लिया गया था और 29 दिसंबर 2016 के बीच, जब उसे मांड्या में सत्र अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था, राज्य पुलिस और एसीपी कर्नाटक सहित जांच एजेंसी द्वारा व्यापक पूछताछ और जांच की गई थी, जिसके बावजूद कोई दोषारोपण नहीं किया गया था। साक्षय मिल गया है; और

(vi) यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है जिसमें शामिल मामलों में

आत्महत्या के लिए उकसाने के कई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्य होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल उत्पीड़न का आरोप तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि आरोपी की ओर से कार्रवाई करने के लिए मजबूर न किया जाए

आत्महत्या करने वाला व्यक्ति।

15. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब विश्लेषण के लिए आती हैं।

सी विश्लेषण

16. एकल न्यायाधीश के फैसले को पढ़ने पर, यह प्रकट होगा

एकल न्यायाधीश धारा 482 (जिस पर विचार किया जा रहा था) के तहत एक याचिका और धारा के तहत एक आरोप पर दोषसिद्धि के खिलाफ एक शून्य परीक्षण या अपील के बीच अंतर को नोटिस करने में विफल रहा है एकल न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया है। निर्णय परिकल्पना और एस. ई. एस. से भरा हुआ है जिसके आधार पर एकल न्यायाधीश एक निष्कर्ष [2021] 10 एस. सी. आर. तक पहुँच गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

तथ्यों पर। एकल न्यायाधीश ने आपराधिक शिकायत और मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में आरोपों की सत्यता का परीक्षण किया है, जिसमें एक साक्षय रिकॉर्ड का लाभ नहीं है जो होगा -

मुकदमे के दौरान एकत्र किया गया। जिस स्तर पर उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका को रद्द करने पर विचार करता है, उस स्तर पर यह परीक्षण लागू किया जाना चाहिए कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप, शिकायत को जोड़े या उससे अलग किए बिना, प्रथम दृष्टया कथित अपराध के तत्वों को स्थापित करते हैं। इस स्तर पर, उच्च न्यायालय आरोपों की सत्यता का परीक्षण नहीं कर सकता है और न ही उस मामले के लिए वह उस तरीके से आगे बढ़ सकता है जिस तरह से मुकदमे का संचालन करने वाला न्यायाधीश मुकदमे के दौरान एकत्र किए गए साक्षय के आधार पर करेगा। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने मानव व्यवहार की सामान्य प्रक्रिया के बारे में अपनी धारणा को प्रतिस्थापित करते हुए एक मुकदमा आयोजित करने के लिए वस्तुतः आगे बढ़ गया है। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।

17. वर्तमान मामले में शिकायत, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, में विस्तृत विवरण है:

अवैध के संबंध में मृतक की जानकारी

(1)

अभियुक्त की गतिविधियाँ;

((ख)

अभियुक्त ने मृतक के बैंक खाते का उपयोग किया था

अपने रिश्तेदारों को धन का हस्तांतरण;

(iii)

मृतक को आरोपी द्वारा धमकी दी गई थी और

मृत्यु के साथ उसके "घर कार चालक" द्वारा; और

(iv) उस सुसाइड नोट की बरामदगी जो अपलोड भी किया गया था।

मृतक के फेसबुक खाते पर;

सुसाइड नोट एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है

दूसरे उत्तरदाता द्वारा संचित धन

(अ)

अभियुक्त जो एक एस. एल. ए. ओ. था, जिसकी कीमत Rs.100 से अधिक थी करोड़;

दूसरा प्रतिवादी-अभियुक्त ने धर्म परिवर्तन कर लिया है

(ख)

लगभग रु। 100 करेंसी नोटों में करोड़ों

विभिन्न संप्रदाय;

मृतक के संबंध में जानकारी

((ग)

अभियुक्त की अवैध गतिविधियाँ;

अभियुक्त ने मृतक का इस्तेमाल किया था

((घ)

रुपये से अधिक के मुद्रा नोटों का रूपांतरण।

(ई)

मृतक के वेतन का भुगतान, जो था

एक चालक को तीन महीने से रोका गया है;

मृतक को जान से मारने की धमकी

(च)

मुद्रा में कमी के बाद; और

मृतक ने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया

(जी)

ज़हर पीना, हाथों से पीड़ित होना

अभियुक्त।

18. इस पृष्ठभूमि में, न्यायिक दिमाग के लिए शिकायत और सुसाइड नोट की सामग्री के विवेकपूर्ण दायरे में आना असंभव है।

इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि एफ. आई. आर. को रद्द करने का मामला स्थापित किया गया था। उस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, एकल न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर अच्छी तरह से तय सीमाओं का उल्लंघन किया है और एक ऐसे क्षेत्र में अतिक्रमण किया है जो आपराधिक मुकदमे के लिए आरक्षित है।

19. उच्च न्यायालय के पास धारा 482 के तहत जारी करने की शक्ति है।

ऐसे आदेश जो कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। एफ. आई. आर. को निरस्त करने के लिए धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग पर कानून अच्छी तरह से तय है। उड़ीसा राज्य में v. इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ, सरोज कुमार साहू 3 ने कहा कि:

" 8. [.....] धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय

अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। अंतर्निहित

धारा के तहत अधिकारिता का प्रयोग व्यापक होने के बावजूद किया जाना चाहिए

संयम से, सावधानी से और सावधानी के साथ और केवल तभी जब ऐसा अभ्यास किया जाए

खंड में ही विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है।

वास्तविक और सारगर्भित कार्य करने के लिए इसका पूर्व-ऋण न्याय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रशासन के लिए न्याय जिसमें केवल अदालतें मौजूद हैं। प्राधिकरण

उस अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है ताकि अन्याय पैदा किया जा सके, अदालत के पास दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। यह किसी भी कार्रवाई की अनुमति देने के लिए अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित होगा यदि वह पाता है कि दीक्षा /

इसे जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या

इन कार्यवाहियों को रद्द करने से अन्यथा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति होगी -

न्याय। जब रिपोर्ट द्वारा किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो अदालत कर सकती है

5 (2005) 13 एससीसी 540 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह आकलन करने के लिए सामग्री को देखने की अनुमति है कि रिपोर्ट में क्या आरोप लगाया गया है और क्या कोई अपराध बनाया गया है, भले ही आरोपों को पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है।

ये सिद्धांत हरियाणा राज्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न होते हैं। च. भजन लालो और स्टेट ऑफ एम. पी. बनाम सुरेंद्र कोरी "।

सुरेंद्र कोरी (ऊपर) में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 14. उच्च न्यायालय धारा के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

482 सी. आर. पी. सी. अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र, हालांकि व्यापक है, लेकिन इसका उपयोग संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय को, धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत, आम तौर पर प्रथम दृष्टया जवाब देने से बचना चाहिए।

ऐसे मामले में निर्णय जहां पूरे तथ्य अधूरे और अस्पष्ट हैं,

अधिक तब जब साक्षय एकत्र नहीं किया गया है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसमें शामिल मुद्दे, चाहे वे तथ्यात्मक हों या कानूनी, व्यापक परिमाण के हैं और उन्हें उनके सही परिप्रेक्षय में नहीं देखा जा सकता है।

पर्याप्त सामग्री के बिना "।

20. भजन लाल (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए सिद्धांत निर्धारित किए।

एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत। न्यायमूर्ति रत्नवेल पांडियन ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग पर सीमाएं निर्धारित कीं और कहा:

" 102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है या

चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें ऐसी शक्ति हो। व्यायाम करना चाहिए।

6 1992 सप्लीमेंट (1) एससीसी 335

7 (2012) 10 एससीसी 155 महेंद्र के. सी. बनाम।

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, प्राथमिकी के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो धारा के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच को उचित ठहराया जाता है।

156 (1) एक मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत को छोड़कर संहिता के भीतर

संहिता की धारा 155 (2) का कार्यक्षेत्र।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्षय किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहाँ, एफ़. आई. आर. में आरोप संज्ञेय नहीं हैं।

अपराध लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध है, नहीं

संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की अनुमति दी जाती है। (5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप ऐसे हैं

बेतुका और स्वाभाविक रूप से असंभव जिसके आधार पर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि पर्याप्त है

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आधार।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है। भजन लाल (ऊपर) के फैसले पर हाल ही में भरोसा किया गया है

तेलंगाना राज्य बनाम में न्यायालय है। मनागीपेट 3.

21. उपरोक्त उदाहरण के आधार पर, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए बकाया का प्रयोग करते हुए

दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ-अभियुक्त को निम्नलिखित दो परीक्षणों को लागू करना चाहिए था: (i) क्या शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अपराध हैं; और (ii) क्या आरोप इतने असंभव हैं कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा कि शिकायत के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। आगे बढ़ने से पहले, आत्महत्या के लिए उकसाने पर कानून पर संक्षेप में चर्चा करना अनिवार्य है।

यह निर्धारित करें कि क्या प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा306 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है।

22. आई. पी. सी. की धारा 376 में उकसाने की सजा का प्रावधान है।

आत्महत्या:

" 306. आत्महत्या के लिए उकसाना-यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है, उसे दंडित किया जाएगा।

एक अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास के साथ जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

आई. पी. सी. की धारा 107 "उकसाना" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है: " 107. किसी चीज़ का प्रोत्साहन-एक व्यक्ति किसी चीज़ को करने में सहायता करता है।

कौन?

उस चीज़ को करना; या तीसरी बात। जानबूझकर किसी भी कार्य या अवैध चूक से उस कार्य को करने में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1. - एक व्यक्ति जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से किसी काम को करने का कारण बनता है या प्राप्त करता है, या करने या प्राप्त करने का प्रयास करता है, कहा जाता है कि वह उस काम को करने के लिए उकसाता है।

23. उकसाने का सार किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाने में निहित है

किसी कार्य या अवैध चूक द्वारा उस कार्य को जानबूझकर करना। रमेश कुमार बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य ', इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति आर. सी. लाहोटी (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) के माध्यम से बोलते हुए कहा:

" 20. उकसाना आगे बढ़ना, उकसाना, उकसाना या उकसाना है। "एक कार्य" करने के लिए प्रोत्साहित करें। उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए

9 9 (2001) 9 एस. सी. सी. 618 महेंद्र के. सी. बनाम

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

हालाँकि यह आवश्यक नहीं है कि वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए

प्रभाव या जो प्रेरणा का गठन करता है वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम के बारे में सुझाव दें। फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूक या निरंतर आचरण के कारण ऐसा किया हो।

ऐसी परिस्थितियों में कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस स्थिति में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता था। वास्तव में होने वाले परिणामों का इरादा किए बिना क्रोध या भावना के रूप में बोला गया शब्द नहीं कहा जा सकता है प्रेरणा दें "।

24. चित्रेश कुमार चोपड़ा ते (सरकार) मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ। दिल्ली के एन. सी. टी.) ने न्यायमूर्ति डी. के. जैन के माध्यम से कहा:

" 19. जैसा कि रमेश कुमार [(2001) 9 एस. सी. सी. 618 में देखा गया है: 2002 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1088], जहाँ अभियुक्त अपने कृत्यों या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करता है कि मृतक

उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

" "प्रेरणा" का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह साबित करने के लिए कि आरोपी ने किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया है,

यह स्थापित करने के लिए:

(i) अभियुक्त मृतक को शब्दों, कार्यों या जानबूझकर चूक या आचरण से परेशान या परेशान करता रहता है जो एक जानबूझकर मौन भी हो सकता है जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं दी या धक्का नहीं दिया या उसे मजबूर नहीं किया।

अपने कर्मों, शब्दों या जानबूझकर चूक या आचरण से मृतक को आगे बढ़ने में अधिक तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए मृत

((ii) कि अभियुक्त का इरादा ऊपर उल्लिखित तरीके से कार्य करते हुए मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, आग्रह करने या प्रोत्साहित करने का था। निस्संदेह, मेन्स रिया की उपस्थिति उत्तेजना का आवश्यक सहवर्ती है। 20. इस कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में, हम मामले का विज्ञापन कर सकते हैं। आत्महत्या का कारण क्या है, इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है क्योंकि मनुष्यों में आत्महत्या के विचार और व्यवहार जटिल और बहुआयामी हैं। एक ही स्थिति में अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग प्रतिक्रिया करते हैं और व्यवहार करते हैं क्योंकि वे प्रत्येक घटना में व्यक्तिगत अर्थ जोड़ते हैं, इस प्रकार

19) 16

एससीसी 605 [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आत्महत्या के लिए व्यक्तिगत भेद्यता। प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या का स्वरूप उसके मानसिक दर्द, भय और आत्म-सम्मान के नुकसान के आंतरिक व्यक्तिपरक अनुभव पर निर्भर करता है। इनमें से प्रत्येक कारक किसी व्यक्ति के अपने जीवन को समाप्त करने की दुर्बलता में महत्वपूर्ण और उत्तेजक योगदानकर्ता हैं, जो या तो आत्म-सुरक्षा का प्रयास हो सकता है।

या असहनीय स्वयं से पलायन "।

अमलेंदु पाल @झंटू बनाम में निर्णय में इसे दोहराया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य ", जहाँ यह देखा गया है:

" 12. [.....] यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कथित मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का प्रमाण होना चाहिए। केवल आरोपी की ओर से घटना के समय के निकट कोई सकारात्मक कार्रवाई किए बिना उत्पीड़न के आरोप पर, जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया या मजबूर किया गया, निम्नलिखित के संदर्भ में दोषसिद्धि -

आई. पी. सी. की धारा306 टिकाऊ नहीं है।

(इस संदर्भ में प्रवीण प्रधान बनाम के निर्णयों को भी देखें। उत्तरांचल राज्य 1 1, वैजनाथ कोंडीबा खंडके बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र 1 3, एम. अर्जुनन बनाम। राज्य (इसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया)

पुलिस निरीक्षक) 1 4, उदे सिंह बनाम। हरियाणा राज्य 1 5, राजेश @सरकारी बनाम। हरियाणा राज्य 1 और गुरचरण सिंह बनाम। पंजाब राज्य 1. इन निर्णयों का उल्लेख हाल ही में अर्नब मनोरंजन गोस्वामी

बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले में किया गया है। महाराष्ट्र राज्य 1 8)। 25. धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए मापदंडों से बहुत दूर यात्रा की। अनिवार्य रूप से, उच्च न्यायालय के समक्ष कार्य यह निर्धारित करना था कि क्या पहले मामले में लगाए गए आरोप

सूचना रिपोर्ट या शिकायत, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया अपराध का गठन करता है या अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाता है।

1 1 11 (2010) 1 एस. सी. सी. 707 12 (2012) 9 एस. सी. सी. 734 13 (2018) 7 एस. सी. सी. 781 14 (2019) 3 एस. सी. सी. 325 15 (2019) 17 एस. सी. सी. 301 16 (2020) 15 एस. सी. सी. 359 17 (2020) 10 एस. सी. सी. 200 18 (2021) 2 एस. सी. सी. 427 महेंद्र के. सी. बनाम।

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

26. इस तय किए गए सिद्धांत को लागू करने के बजाय, उच्च न्यायालय ने अपने स्वयं के दृष्टिकोण से इसकी सच्चाई का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ा है।

आरोप लगा रहे हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो कि एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि पर्याप्त है। अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आधार। न ही यह ऐसा मामला है जिसमें आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है या इसके साथ शुरू की गई है

अभियुक्त से बदला लेने का एक गुप्त उद्देश्य। इसके विपरीत, एफ. आई. आर. और शिकायत में विशिष्ट आरोप सुसाइड नोट में उचित प्रतिबिंब पाते हैं और आई. पी. सी. की धारा 376 और 107 के अर्थ के भीतर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करते हैं। उच्च न्यायालय के पूरे फैसले में कई अनुमान और अनुमान शामिल हैं और इस तरह की कवायद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही के दायरे से बाहर है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि

जाँच के दौरान जो खुलासा हुआ है उसकी जाँच करें, इसे नजरअंदाज करें

धारा 482 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश द्वारा जांच पर रोक लगा दी गई थी। 27. उच्च न्यायालय ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है क्योंकि: i) सुसाइड नोट में विशिष्ट धमकियों का वर्णन नहीं है; ii) रुपये की कथित मांग का विवरण। 8 प्रत्यर्थी अभियुक्त द्वारा मृतक से लाखों की राशि आत्महत्या पत्र में नहीं दी गई है; और iii) इसके लिए कोई सामग्री नहीं है।

जाँच एजेंसी द्वारा सुसाइड नोट में विस्तृत आरोपों की पुष्टि की गई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब से मृतक को बारह पृष्ठ का सुसाइड नोट लिखने में काफी समय लगा।

लेखक के लिए विवरण निर्धारित करना स्वाभाविक होता। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति की सीमाओं से बहुत आगे की यात्रा की है क्योंकि यह निर्धारित करने के बजाय कि क्या शिकायत के अवलोकन पर, एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, उसने सुसाइड नोट के संदर्भ में साक्षय की पर्याप्तता का विश्लेषण किया है और

सुसाइड नोट पर टिप्पणी की है और कड़ी टिप्पणी की है

स्वयं। उच्च न्यायालय के आदेश के पैरा 32,33,34 और 39 नीचे दिए गए हैं:

" 32. पैराग्राफ नं. 21 , एक गंजा बयान दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि क्योंकि वह उपरोक्त सभी लेन-देन से अवगत है, इसलिए उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी। अगले वाक्य में, वह कहता है कि वह मनोवैज्ञानिक/भावनात्मक रूप से परेशान रहा है और इसलिए, वह [2021] 10 एस. सी. आर. का सेवन कर रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और यह कि केवल याचिकाकर्ता और उसका चालक ही जिम्मेदार हैं। एक व्यक्ति के लिए, जिसने 20 लेन-देन का विवरण दिया है, यह समझदारी से किया जा सकता है।

ऐसे व्यक्ति से धमकी का विवरण देने की अपेक्षा की जाती है।

33. अगले असंख्या पैराग्राफ में, याचिकाकर्ता द्वारा धमकी देने के कारण के रूप में एक पूरी तरह से अलग कहानी/नोट निर्धारित किया गया है मृतक। असंख्या पैराग्राफ में, वह कहते हैं कि 8 लाख रुपये की नकदी की कमी थी और याचिकाकर्ता को संदेह था कि वह इसके लिए जिम्मेदार है और इसलिए,

उसे धमकी दी कि अगर मृतक ने 8 लाख रुपये नहीं दिए तो,

वह मृतक को उपद्रवियों के हाथों मार देता। इसके बाद, अगले वाक्य में वह कहता है कि उसी को देखते हुए, उसने जहर खाने का फैसला किया है और याचिकाकर्ता और उसका

ड्राइवर उसी के लिए जिम्मेदार हैं। 34. पैराग्राफ नं. 20 , मृतक याचिकाकर्ता को पकड़ता है

पिछले तीन महीनों से वेतन रोकने के लिए जिम्मेदार।

अनुच्छेद सं. सहित अन्य अनुच्छेद। 20 विस्तार से बताएँ

कहा जाता है कि संपत्तियों को याचिकाकर्ता और अन्य अवैध लेनदेन द्वारा एकत्र किया गया था। डेथ नोट को पढ़ने और जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय के सरकारी प्लीडर और दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश वकील से पूछताछ की गई।

कि क्या जाँच में कोई ऐसी सामग्री सामने आई है जो

डेथ नोट में दिए गए किसी भी आरोप की पुष्टि करता है। उच्च न्यायालय के विद्वान सरकारी वकील निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी भी पुष्टि करने के लिए किसी भी सामग्री का पता नहीं लगा पाए हैं।

आरोपों से।

39. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मौत के नोट में गंजे और अस्पष्ट बयान के अलावा कोई आपत्तिजनक बयान या सामग्री नहीं है, लेकिन यह कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी। यहां तक कि शिकायत में भी कथित धमकी का कोई विवरण नहीं दिया गया है और न ही शिकायत में कहा गया है कि मृतक ने कई मौकों पर आरोपी से धमकी मिलने की शिकायत की थी। यहां तक कि 8 लाख रुपये के पुनर्भुगतान की मांग का आरोप भी खोखला है क्योंकि न तो अभियोजन पक्ष और न ही वास्तविक शिकायतकर्ता ऐसी सामग्री का एक अंश प्रस्तुत करने में सक्षम हुए हैं जिसमें मृतक था या वास्तव में था। भारी राशि का अधिकार "।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों का खंडन करने वाली कोई सामग्री नहीं है, गलत है क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए महेंद्र के. सी. बनाम पर विचार नहीं किया है।

कर्नाटक राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा शुरू नहीं हुआ है और एकल न्यायाधीश ने आपराधिक शिकायत में जांच पर रोक लगा दी थी।

28. एकल न्यायाधीश, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले के गुण-दोष पर निर्णय लेने के अलावा, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को कम करने वाले अवलोकन भी किए। किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को एक आकार में संकुचित नहीं किया जा सकता है जो सभी दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त हो। विवादित फैसले के पैराग्राफ 37 में एकल न्यायाधीश ने कहा:

" 37. यह मृतक का मामला नहीं है कि आरोपी ने उसे उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया था या ऐसे कार्य किए हैं जिन्होंने जीवन में उसकी आशाओं को तोड़ दिया है या उसे अपने परिवार और दोस्तों से अलग कर दिया है। एकल न्यायाधीश तब
निम्नलिखित टिप्पणी करता है -

पैराग्राफ 41 और 43:

43. एक अलग शहर में एक रिश्तेदार की शादी में भाग लेने और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने का उनका कार्य एक सामान्य व्यक्ति का कार्य है, न कि गंभीर दबाव में किसी व्यक्ति का। यह तर्क कि यह आपराधिक मामला उनके करियर को खतरे में डाल देगा प्रगति को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यह भी आने वाला नहीं है।

इस बारे में कि उसने जहर कैसे पैदा किया।

29. एकल न्यायाधीश ने आत्महत्या करने का निर्णय लेने वाले व्यक्ति को 'कमजोर' करार दिया है और यह भी टिप्पणी की है कि आत्महत्या करने से पहले मृतक का व्यवहार किसी व्यक्ति का नहीं था

जो अवसादग्रस्त है और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से पीड़ित है। व्यवहार विज्ञानियों ने प्रत्येक व्यक्ति की विषमता पर चर्चा शुरू की है।

व्यक्तिगत और सभी मनुष्यों के व्यवहार की पारंपरिक धारणा को चुनौती दी है [2021] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समान '। व्यक्तिगत व्यक्तित्व अंतर लोगों के व्यवहार में भिन्नता के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए, कैसे एक व्यक्ति शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के खतरे का सामना करता है, प्रेम, हानि, दुःख और खुशी को व्यक्त करता है (या व्यक्त करने से बचता है), मानव मन और भावनाओं की बहुआयामी प्रकृति को देखते हुए बहुत भिन्न होता है। इस प्रकार, जिस तरह से एक उदास व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए था, उसका वर्णन करने वाले अवलोकन मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की गंभीरता को गहराई से कम करते हैं।

30. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश से द्वितीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) और जे. एम. एफ. सी. न्यायालय, मद्दूर, मांड्या जिले की फाइल पर लंबित अपराध No.565/2016 के रूप में दर्ज शिकायत में जांच को पूरा करने से रोक दिया है। कथित आत्महत्या एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के चालक के रूप में काम कर रहा था, जो एक लोक सेवक है और जिसके खिलाफ मृतक द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक धन जमा करने के गंभीर और गंभीर आरोप लगाए गए थे। सुसाइड नोट में उन घटनाओं में आरोपी की भूमिका का विस्तृत विवरण है जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली। ये जांच और संभवतः मुकदमे के मामले हैं। उच्च न्यायालय ने स्थगन का अंतरिम आदेश देकर जांच को रोक दिया। यदि जाँच को आगे बढ़ने की अनुमति दी गई होती, तो ऐसे भौतिक तथ्यों का खुलासा होता जो दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ कथित अपराध के लिए मुकदमे में सहायता करते।

31. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।

कर्नाटक दिनांक 29 मई 2020। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा दर्ज की गई एफ. आई. आर. को रद्द करने की याचिका खारिज हो जाएगी।

32. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों

की अनुमति दी गई।